प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 01/2025

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
ईश्वरसिंह राठौड़ निवासी— ग्राम थुम्बा, पोस्ट पादरली, वाया गुडा, तहसील आहोर जिला जालोर।		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः—
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

संभागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 24 सितम्बर, 2025

अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.06.2025 को प्रेषित आवेदन में न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर के अपील संख्या 592/2024 में अन्तिम सुनवाई दिनांक 12.05.2025 के प्रकरण के निस्तारण किया जा चुका है, की सम्पूर्ण सूचना विवरण उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया था। आवेदन के अनुसार एक माह व्यतीत हो जाने के पश्चात वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने के आधार अपीलान्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.07.2025 को यह प्रथम सूचना अपील प्रेषित की गई है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु दिनांक 27.8.2025 नियत की जाकर अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई हेतु निर्धारित की गई तिथी को अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट की अपील पर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा द्वारा अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ. 2025/95 दिनांक 21.08.2025 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित की गई। दौराने सुनवाई विभागीय प्रतिनिधि, कार्यालय हाजा ने उक्त प्रेषित टिप्पणी को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2025 उनकी शाखा को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि आवेदक/प्रार्थी के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2025 कार्यालय हाजा की सम्बन्धित शाखा को प्राप्त नहीं होना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया है। इस दृष्टि से अपीलान्ट की ओर से पेश यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है। अपीलान्ट चाहे तो वह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालय के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत करते हुए वांछित दस्तावेज/ सूचना प्राप्ति करने हेतु कार्यवाही कर सकते है। इस प्रकार अपीलान्ट की यह अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें। निर्णय आज दिनांक 24 सितम्बर, 2025 को सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर